UPHR010048212026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2307/2026

प्रधान विपिन यादव पुत्र राकेश यादव निवासी हुसियापुर, थाना सूरसा, जिला हरदोई।

---------- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य -------- ---------- अभियोगी

1– प्रार्थी/अभियुक्त **प्रधान विपिन यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 219/2017, अन्तर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 427 भा०द०सं० व धारा 3(2)(Va), 3(1)(r) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, थाना सुरसा, जिला हरदोई में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 11.09.17 की शाम समय करीब 8.30 बजे मैं तथा मेरे पिताजी गोपीचन्द व मित्रपाल अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम बौठा से अपने रिस्तेदारों से मिलकर अपने घर पसहइया आ रहे ये जब हम लोग ग्राम मझिला से होसियापुर जाने वाली सडक पर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहाँ पर रास्ते के बीच में एक मोटर साइकिल अव्यस्थित तरीके से बड़ी थी जो कि रास्ते को अवरोधित कर रही थी। मैंने अपनी मोटर साइकिल रोककर देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे तखत पर चार व्यक्ति बैठे थे। जिनमें ग्राम प्रधान होसियापुर विपिन यादव भी मौजूद थे। मैंने मोटर साइकिल गलत बड़ी करने का उलाहना दिया तो प्रधान विपिन ने हम तीनों को जातिसूचक गालियां देते हुए कहा पासियों साले दिमाग खराब हो गये हैं तथा प्रधान विपिन यादव व उनके पिता राकेश यादव, नीलू यादव, राजपाल यादव हम तीनों लोगों को लात–घूसों व लाठी–डंडों से बुरी तरह मारने पीटने लगे। सभी ने हम तीनों को लाठी डंडों से मारा पीटा जिन्हें सामने आने पर पहचान लूँगा मारपीट से हम तीनों के शरीर पर गम्भीर चोटें आयी हैं जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाना सुरसा पर दर्ज करायी गयी।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि उसे उपरोक्त मुकदमे में गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है, न विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– वादी को नोटिस जारी की गयी जो तामील हुयी, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में अभियुक्तपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजनपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया हैं। धारा 3(2)(Va), 3(1)(r) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रधान विपिन यादव** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० **25,000/– (पच्चीस हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 20–07–2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी
(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।